अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमाक संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/19/ 464 दिनांक:– 02/07/19

–: आदेश :–

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/19/451 दिनाक 24.06.19 के द्वारा पीजी पूर्ण होने के पश्चात आदेशों की प्रतीक्षारत चिकित्सकों का नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने अथवा नही करने वाले चिकित्सकों की सूचना चाही गई थी। जो संबंधित नियत्रण अधिकारी के माध्यम से सूचना आज दिवस 02.07.19 तक अपेक्षित है।

पीजी अध्ययन पश्चात पदस्थापन पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति मे बॉण्ड की शर्तो के अनुसार संबधित चिकित्सक से राशि वसूली की कार्यवाही आरम्भ करते हुए रजिस्ट्रेशन निरस्त के लिए रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउन्सिल को सूचित कर दिया जायेगा एवं अनुपस्थिति के लिए अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसके लिए संबंधित चिकित्सक स्वय जिम्मेदार होंगे।

अत सबधित चिकित्सको को पुन. निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार के आदेशो की अक्षरश पालना करते हुए तत्काल पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करे एवं नियत्रण अधिकारी के माध्यम से कार्यग्रहण की सूचना निदेशालय को प्रेषित करें।

2/7/19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/19/ 464 दिनांक:– 2/07/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/संबंधित नियत्रंण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों के तहत आपके अधीन पदस्थापित किये गये चिकित्सकों के कार्यग्रहण की रिपोर्ट शीघ्र addldirgaz@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करे। यदि आपके स्तर से कार्यग्रहण की सूचना अपेक्षित होने पर किसी भी चिकित्सक के विरूद्व उक्त कार्यवाही सम्पादित की जाती है, तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
6. निजी/आदेश पत्रावली।

2/7/19

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।